न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/89/2021

बउनवान

1. समशेर खां पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 45 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. अलीशेर खां पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 42 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. अतिमन पुत्री गीला जाति मेव आयु करीब 50 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. रतिमन पत्री गीला जाति मेव आयु करीब 47 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
5. अलीमन पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 38 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

————वादीगण

बनाम

1. बल्देवसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 55 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. अर्जुन सिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 53 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. गुलशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 50 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. अमरजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 48 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
5. कान्ताकोर पुत्री प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 55 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

6. उप पंजियक महोदय गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1995

उपस्थित :–

श्री सोहनपाल सैनी एडवोकेट– वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 24.03.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.3800 है0 वाके बास दौंगड़ी तह0 गोविन्दगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसका साबिक खसरा नं. 49 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा था। जिसे आगे चलकर दावा में आराजी मुतनाजा के नाम संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के दादा गुरूमुखसिंह पुत्र बसावासिंह की कब्जे काश्त की खातेदारी रही है। जिसे गुरूमुखसिंह को घरेलु खर्च की आवश्यकता होने के कारण उसने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.05.1973 से वादीगण की पिता गीला को बेचान कर दिया था। बयनामा सं. 143 बुक नं. 1 जिल्द संख्या 19 व पृष्ठ संख्या 75–76 पर दिनांक 28–05–1973 को पंजीबद्व किया गया। आराजी मुतनाजा पर खरीददार वादीगण के पिता गीला का कब्जा चला आ रहा है। गीला के मरने के बाद वारिसान जो दावा में वादीगण है। तथा लगान आदि अदा कर रहे है। मृतक की चल– अचल संपत्ति पर बहैसियत वारिसान काबिज है। यह है कि बयनामा तस्दीक होने के बाद वादीगण का पिता द्वारा बयनामा को राजस्व रिकॉर्ड मे इंतकाल दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का के समक्ष पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा बयनामा अपने पास रखकर खरीददार से कहा कि विक्रेता के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के बाद इंतकाल दर्ज हो जावेगा।

यह है कि वादीगण के पिता व वादीगण ने बीच–बीच में प्रतिवादीगण के पिता व दादा से निवेदन किया कि अपने नाम खातेदारी का

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

इंतकाल दर्ज करवाकर हमारे नाम खातेदारी का इंतकाल करावे लेकिन विक्रेता एवं उसके वारिसान ने यही आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। यह है कि विक्रेता के पुत्र प्रतापसिंह के नाम विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदारी दर्ज हो चुकी है। यह है कि वादीगण का पिता का स्वर्गवास 2018 में हो गया तथा प्रतापसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है। अब वादीगण ने प्रतापसिंह के वारिसान से जो प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 है से कहा कि अपने नाम विरासत इंतकाल दर्ज कराओं जिससे हम विवादित आराजी का अपने नाम इंतकाल करा सके। परन्तु माह 2019 में प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया कि ना तो हम विरासत इंतकाल करवायेंगें ना ही तुम्हारे नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने देंगे। और साथ यह भी धमकी दी कि प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा से वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा आराजी मुतनाजा को दीगर जगह रहन बय व मुंतकिल करेंगे व निर्माण कार्य करेंगे।

अतः वादीगण द्वारा दावा इस्तकरारहक विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. हाल 60 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 को पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी मुतनाजा में वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करे। तथा किसी दीगर प्रकार रहन बय व मुंतकिल ना करे तथा प्रतिवादी सं. 6 आराजी मुतनाजा का बयनामा आदि दस्तावेज तस्दीक न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये अखबार साया दिनांक 03.01.2025 को तामिल करवायी गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के उपस्थित नही आये अतः इनके विरूद्ध दिनांक 14.02.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में बयनामा दिनांक 28.05.1973 की प्रमाणित प्रति **प्रदर्श–1**, मिलान क्षेत्रफल खसरा नं. 49 मिन साबिक व हाल खसरा नं. 60 वाके ग्राम बास दौंगड़ी **प्रदर्श–2**, नकल जमाबन्दी संवत् 2020

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2070–75 **प्रदर्श–4**, अखबार राजस्थान पत्रिका दिनांक 03.01.2025 **प्रदर्श–5**, पेश कर प्रदर्शित कराये है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी अलीशेर पुत्र गीला **पी डब्ल्यू–1**, गवाह इमरान पुत्र शमसेर **पी डब्ल्यू–2** के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

हमने वादीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को ही दोहराया व कथन किया कि प्रतिवादीगण के दादा व पिता ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 28.05.1973 से वादीगण की पिता गीला को बेचान कर दिया था। बयनामा सं. 143 बुक नं. 1 जिल्द संख्या 19 व पृष्ठ संख्या 75–76 पर दिनांक 28–05–1973 को पंजीबद्व किया गया। और तभी से वादीगण व उनके पिता काबिज है और काश्त करते चले आ रहे है। अधिवक्ता वादीगण ने आराजी खसरा नं. हाल 60 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली में संलग्न बयनामा दिनांक 28.05.1973 (प्रदर्श–1) से गुरूमुखसिंह पुत्र बसावासिंह द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा को वादीगण के पिता गीला को बेचान किया गया है प्रमाणित है तथा गवाह पी डब्ल्यू 1 व पी डब्ल्यू 2 के अवलोकन से बयनामा दिनांक 28.05.1973 से गुरूमुखसिंह पुत्र बसावासिंह द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा को वादीगण के पिता गीला को बेचान किया गया है प्रमाणित है तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वर्तमान में कब्जा है यह भी प्रमाणित है। साथ ही पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी ख.नं. हाल 60 वाके ग्राम बास दौंगड़ी पर शमसेर, अलीशेर पुत्रान गीला का ही कब्जा काश्त है। जमाबंदी सवंत 2020 (प्रदर्श–3) अनुसार साबिक खसरा 49 मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबंदी संवत् 2070–75 (प्रदर्श–4) वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

बांस दौंगड़ी अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता प्रतापसिंह पुत्र गुरूमुखसिंह, खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र का नामांतकरण दर्ज न होना विधि अनुसार उचित नही है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के बयानों से वाद वादीगण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज०)

आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने से डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 60 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण के पिता प्रतापसिंह पुत्र गुरमुखसिंह का इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 24.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/89/2021

बउनवान

1. समशेर खां पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 45 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. अलीशेर खां पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 42 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. अतिमन पुत्री गीला जाति मेव आयु करीब 50 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. रतिमन पत्री गीला जाति मेव आयु करीब 47 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
5. अलीमन पुत्र गीला जाति मेव आयु करीब 38 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

————डिक्रीदारान

बनाम

1. बल्देवसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 55 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
2. अर्जुन सिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 53 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
3. गुलशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 50 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
4. अमरजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 48 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

5. कान्ताकोर पुत्री प्रतापसिंह जाति सिक्ख आयु करीब 55 साल निवासी बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

6. उप पंजियक महोदय गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

———मदयूनान

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1995

अतः वाद वादीगण साबित होने से डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर हाल 60 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम बास दौंगड़ी तहसील गोविन्दगढ़ का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण के पिता प्रतापसिंह पुत्र गुरमुखसिंह का इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गोविन्दगढ को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

आज दिनांक 24.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गयी है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)